

लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/96/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:-08.10.2020
GCMS No.:-2020/00351

श्री गोपाल लाल मालीवाल निवासी मकान नं. 109 से. नं. 1, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़
बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 27.10.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 25.08.2020 का प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 96/2020/(27.10)/664 दिनांक 08.10.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 27.10.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 27.10.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।



लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)



प्रकरण संख्या 96/2020 (सू.अ.)
श्री गोपाल लाल मालीवाल निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन),
चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसे आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/414 दिनांक 21.10.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:-

1. यह कि प्रार्थी श्री गोपाल लाल मालीवाल निवासी मकान नं. 109, सेक्टर नं. 01, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2020 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर कुल किता 01 के सूचना मूल ही इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2563 दिनांक 17.09.2020 से डाक द्वारा प्रेषित की गई। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/414 दिनांक 21.10.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2563 दिनांक 17.09.2020 से निः शुल्क



लोक सूचना अधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्री गोपाल लाल मालीवाल निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

डाक द्वारा प्रेषित की गई है किन्तु अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर उसे आदिनांक तक भी वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने का कथन किया है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना की एक प्रति ओर निः शुल्क उपलब्ध करा दी जावे।



(के. के. शर्मा)

लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./96/2020(सू.अ.)/698

दिनांक:-27/10/2020

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री गोपाल लाल मालीवाल निवासी मकान नं. 109, सेक्टर नं. 01, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़



लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)